

MINORITY STATUS IN INDIA

Petition in the supreme court on Minority status

Background:

- A petition has contended that Judaism, Bahaim and Hinduism are the real minorities in Ladakh, Mizoram, Lakshadweep, Kashmir, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Punjab and Manipur.
- But, they cannot establish and administer educational institutions of their choice because of the non-identification of 'minority' at the State level, thus jeopardising their basic rights guaranteed under Articles 29 and 30.
- The following communities have been notified as minority communities by the Government of India;
 - Sikhs
 - Christians
 - Buddhists
 - Muslims
 - Zoroastrians
 - Jains

Supreme Court Observation

- **Minority status is state-dependent:** Every person in India can be a minority in one State or the other.
 - A Marathi can be a minority outside his home State e.g., Maharashtra.
 - Similarly, a Kannada-speaking person may be in the minority in States other than Karnataka.

- **The minority can claim right under Articles 29 and 30:** Court said that a religious or linguistic community which is a minority in a particular State can claim protection and the right to administer and run its own educational institutions under Articles 29 and 30 of the Constitution.


What have the Courts said on the subject?

- **TMA PAI case:** In this, the Supreme Court had said that for the purposes of Article 30 which deals with the rights of minorities to establish and administer educational institutions, religious and linguistic minorities have to be considered state-wise.
- **DAV College v. State of Punjab [1971]:** The moot question, in this case, was what constituted a religious or linguistic minority, and how it was to be determined.
 - **The Court held** that the Arya Samaj is, who were Hindus, were a religious minority in the State of Punjab, even though they may not have been so in relation to the entire country.
- **DAV College Bhatinda v. State of Punjab [1971]:** It was stated that "what constitutes a linguistic or religious minority must be judged in relation to the State in as much as the impugned Act was a State Act and not in relation to the whole of India."

What is the definition of minority under Indian laws?

- The expression “minorities” appears in some Articles of the Constitution but is not defined anywhere.
- **Currently**, only those communities notified under section 2(c) of the **National Minorities Commission (NCM) Act, 1992**, by the central government are regarded as a minority.
- In the exercise of its powers under Section 2(c) of the NCM Act, the Centre on October 23, 1993, notified five groups — **Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Parsis** — as ‘minority’ communities. **Jains** were added to the list in January 2014.

What does the Constitution say about minorities?



Legislative Powers of Parliament vis-i-vis State Legislature w.r.t. Minority

- Under the Constitution, both Parliament and State legislatures “have concurrent powers to enact a law to provide for the protection of minorities and their interests”.
- If the view that the states alone have the power to enact a law on the subject of the minority is accepted.
 - Then in such a case, the Parliament will be denuded of its power to enact a law on the said subject, and this would be contrary to the constitutional scheme.

भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा

सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यक दर्जे पर याचिका

पृष्ठभूमि:

- एक याचिका में तर्क दिया गया है कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में यहूदी, बहाई धर्म (Bahaism) और हिंदू धर्म वास्तविक अल्पसंख्यक हैं।
- लेकिन, वे राज्य स्तर पर 'अल्पसंख्यक' की पहचान न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत गारंटीकृत अपने मूल अधिकारों को खतरे में पाते हैं।
- निम्नलिखित समुदायों को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है:

○ सिखों	○ मुसलमानों
○ ईसाइयों	○ पारसियों
○ बौद्धों	○ जैन

उच्चतम न्यायालय का अवलोकन

- **अल्पसंख्यक का दर्जा एक राज्य पर निर्भर करता है:** भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है।
 - एक मराठी अपने गृह राज्य, जैसे महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक हो सकता है।
 - इसी प्रकार, कन्नड़ भाषी व्यक्ति कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हो सकता है।

- **अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अधिकार का दावा कर सकते हैं:** न्यायालय ने कहा है कि एक धार्मिक या भाषाई समुदाय जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने स्वयं के शिक्षण संस्थानों को संचालित करने और चलाने के अधिकार का दावा कर सकता है।

इस विषय पर न्यायालयों ने क्या कहा है?

- **टीएमए पीएआई मामला:** इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजनार्थ, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यवार किया जाना चाहिए।
- **डीएवी कॉलेज बनाम पंजाब राज्य [1971]:** इस मामले में विवादास्पद सवाल यह था कि एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक कौन है और इसे कैसे निर्धारित किया जाए।
 - न्यायालय ने माना कि आर्य समाजी, जो हिंदू थे, पंजाब राज्य में एक धार्मिक अल्पसंख्यक थे, भले ही वे पूरे देश के संबंध में अल्पसंख्यक न हों।
 - **डीएवी कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य [1971]:** यह कहा गया था कि "भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों के निर्धारक कारक राज्य के संबंध में होने चाहिए, क्योंकि यह अधिनियम एक राज्य अधिनियम था, न कि संपूर्ण भारत से संबंधित था।"

भारतीय कानूनों के तहत अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है?

- शब्द “अल्पसंख्यक” संविधान के कुछ अनुच्छेदों में दिखाई देता है लेकिन कहीं भी परिभाषित नहीं है।
- वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है।
- एनसीएम अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर, 1993 को पांच समूहों - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी - को ‘अल्पसंख्यक’ समुदायों के रूप में अधिसूचित किया। जनवरी 2014 में जैन धर्म के लोगों को भी इस सूची में शामिल किया गया।

अल्पसंख्यकों के बारे में संविधान क्या कहता है?

नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा **(अनुच्छेद 29)**।

सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा **(अनुच्छेद 30)**।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा। **(अनुच्छेद 350 A)**।

अल्पसंख्यकों के संबंध में राज्य विधानमंडल की तुलना में संसद की विधायी शक्तियां:

- संविधान के तहत, संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास “अल्पसंख्यकों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियां हैं”।
- यदि यह मत स्वीकार कर लिया जाता है कि केवल राज्यों के पास ही अल्पसंख्यकों के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, तो ऐसी स्थिति में संसद को उक्त विषय पर कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया जाएगा, और यह संवैधानिक योजना के विपरीत हो जाएगा।